



प्रेषक,
के०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 11 मार्च, 2026
विषय: जनपद-बलरामपुर के घूघुलपुर में बस स्टेशन के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-109बी/डीए/पूर्व/26-18जेईटी/वि०/20-21, दिनांक 30.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-33/2024/451/तीस-1-2024, दिनांक 05.11.2024 द्वारा जनपद-बलरामपुर के घूघुलपुर में बस स्टेशन के निर्माण कराये जाने हेतु आंकलित धनराशि रू० 526.45 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किशत के रूप में रू० 263.225 लाख अवमुक्त की गयी है। प्रश्नगत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु यू०पी० कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० (यू०पी० सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जनपद-बलरामपुर के घूघुलपुर में बस स्टेशन के निर्माण कराये जाने हेतु स्वीकृत लागत रू० 526.45 लाख के सापेक्ष निविदा लागत रू० 523.913 लाख (जी०एस०टी०, लेबर सेस, सेन्टेज चार्ज, कन्टीजेन्सी तथा वाह्य विद्युत संयोजन) में से अवमुक्त की धनराशि रू० 263.225 लाख को घटाते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु द्वितीय एवं अन्तिम किशत के रूप में धनराशि रू० 260.688 लाख (रू० दो करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
- (3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- (7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम का होगा।
- (8) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (9) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ कार्यपूर्ण कराया जायेगा।
- (10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी०एम०-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (11) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।
- (12) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।
- (13) परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित बस स्टेशन/डिपो पीपीपी माडल पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन/डिपो की सूची में सम्मिलित नहीं है।
- (14) अन्य समस्त शर्तें पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-33/2024/451/तीस-1-2024, दिनांक 05.11.2024 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 043-परिवहन विभाग के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-0401-बस अड़्डों के निर्माण में अंशपूँजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीयसंख्या-E-9-324-X-2025-26- दिनांक: 10-3-2026में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 22/ 2026/100(1)/तीस-1-2026,तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0 कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक,यू0पी0 कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-
अरविन्द कुमार
अनुसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।